



**Dand Prikriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978**

Act 33 of 1978

**Keyword(s):**

**Bailable Offence, Charge, Cognizable Offence, Complaint, High Court, Inquiry, Investigation, Judicial Proceeding, Local Jurisdiction, Police Report, Police Station, Warrant-case**

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

159690

15/78-33H  
विधान पुस्तकालय  
(राजकीय प्रकाशन)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 सितम्बर, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 अक्टूबर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में दिनांक 9 अक्टूबर, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अप्रति संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1--(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम  
और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 में—

अधिनियम संख्या  
2 सन् 1974  
की धारा 24 का  
संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "लोक अभियोजक" के पश्चात् शब्द "और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(7) उपधारा (5) और (6) के प्रयोजनार्थ उस अवधि को, जिसमें किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के रूप में सेवा की है, ऐसी अवधि समझा जायगी जिसमें ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है।"

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 29 अगस्त, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खण्ड (क) देखिए।

PRICE 10 PAISE

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 352 सा० (विधा०)—11-1-79--(3439)-1978-1,834+50 (मेक०)।